



# बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

website: -www.bubhopal.ac.in

Email:- buaff2023@gmail.com

क्रमांक: 22 /अकादमी/संबद्धता/2024

To,  
PRINCIPAL,  
LAL BHADUR SHASTRI PROFESSIONAL STUDIES,  
LBS COLLEGE CAMPUS, HANDIA ROAD, HARDI (M.P.)  
(PRIVATE)

भोपाल दिनांक: 03-01-2024

COLLEGE CODE-169  
Affiliation Renewal  
(2023-24)

**विषय:- सत्र 2023-24 हेतु स्थाई /अस्थायी सम्बद्धता की निरन्तरता प्रदान करने विषयक ।**

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक: 25-04-2023 में की गई अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक: 21-12-2023 में अनुमोदन उपरान्त आपके महाविद्यालय को निम्नानुसार पाठ्यक्रमों/विषयों को सत्र 2023-24 हेतु स्थाई/अस्थायी संबद्धता की निरन्तरता प्रदान की जाती है।

S.NO	COURSE	SEAT NO.
1	BED	100

**शर्त:-**

- प्रदत्त अस्थायी संबद्धता / निरन्तरता करने हेतु आगामी सत्र 2024-25 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की मान्यता निर्धारित संबद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
- उच्च शिक्षा विभाग/नियामक संस्था द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्रों की निरन्तरता/संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थायी संबद्धता/निरन्तरता मान्य योग्य नहीं होगी। किसी भी शर्तों की पूर्ति न होने की स्थिति में प्रदत्त संबद्धता पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- बिना संबद्धता के किसी छात्र/छात्रा का प्रवेश मान्य नहीं होगा। उसकी संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
- विश्वविद्यालय परिनियम 27,28 तथा परीक्षा अध्यादेश 5,6,7 का पालन करना होगा।
- शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति वि.वि. परिनियम (कालेज कोड) 28 के तहत पूर्ण कर नियुक्त शिक्षकों की सूची नियुक्ति पत्र, मय ज्वानिंग रिपोर्ट जिसमें शिक्षकों का आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर विश्वविद्यालय की मेल आई डी [buaff2023@gmail.com](mailto:buaff2023@gmail.com) एक्सेल शीट में तथा विश्वविद्यालय में हार्डकापी में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह जानकारी महाविद्यालय की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा। (अशासकीय महाविद्यालय हेतु)
- शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठक का आयोजन एवं विवरण तीन माह में वि.वि. को भेजना होगा (अशासकीय महाविद्यालय हेतु)
- संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु FDR की मूल प्रति पुनरीक्षित दर से वि.वि.में जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रदत्त पाठ्यक्रमों की संबद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

आदेशानुसार

  
कुलसचिव

पृ.कं. 23/अकादमी/संबद्धता/2024

भोपाल दिनांक 03-01-2024

प्रतिलिपि:-

- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
- आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल नर्मदापुरम संभाग भोपाल।
- प्रभारी, वि.वि. आई.टी. /वेब सेल भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- उपकुलसचिव गोपनीय/परीक्षा की ओर सूचनार्थ।
- कुलपति/कुलसचिव जी के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।

सहायक कुलसचिव, (अकादमी)

